"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी 2026 — पौष 23, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक GEN-2101/1319/2025/COMM. & INDUS. - चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव् औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करता है, अर्थात -

संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में,

1 कंडिका (12.25) में, शब्द "जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र" के स्थान पर, शब्द "सक्षम अधिकारी" से प्रतिस्थापित किया जाए।.

2 कंडिका (12.26) में, शब्द "उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) की" एवं "पीएलआई नीति/योजना अंतर्गत" को विलोपित किया जाए तथा शब्द "प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त" के पश्चात, शब्द एवं चिह्न ", संबंधित पैकेज में उल्लेखित कुल अधिकतम सीमा तक," जोड़ा जाए।

3 कंडिका (12.27) के खंड (ब) में, शब्द "उत्पादन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/सेवा उद्यमों हेतु 6 माह, मध्यम उद्यम/मध्यम सेवा उद्यम हेतु 12 माह, वृहद उद्यमों हेतु 24 माह तक किया गया निवेश" के स्थान पर शब्द "उत्पादन दिनांक के पश्चात नीति के परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में उल्लेखित समय सीमा में किया गया निवेश" प्रतिस्थापित किया जाए।

4 परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में, शब्द "अभिस्वीकृति दिनांक" के पश्चात, शब्द एवं चिन्ह "/एमओयू दिनांक/ Invitation to Invest जारी होने के दिनांक" जोड़ा जाए।

5 परिशिष्ट-1 की कंडिका (29) के खण्ड (अ) के स्थान पर, निम्नानुसार खंड प्रतिस्थापित किया जाए, -
"(अ) परिशिष्ट-1 की कंडिका (32) के अनुसार तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन में दर्शायी गयी परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर)।"

6 परिशिष्ट-2 के खंड (फ) में प्रविष्टि बिन्दु 4 में, शब्द "डाउन स्ट्रीम उत्पाद" के पश्चात, शब्द एवं चिन्ह "(एकीकृत स्टील संयंत्र, स्टील के ऐन्गल, चैनल, टीएमटी, वायर, कौईल, शीट, पाइप को छोड़कर)" जोड़ा जाए।

7 परिशिष्ट-5 की तालिका के कॉलम 1 में, शब्द "स्टील संयंत्र" के पश्चात, चिह्न एवं शब्द "(स्टील संयंत्र से आशय है एकीकृत स्टील प्लांट अथवा ऐसी इकाईयां जिनमें प्राथमिक स्टील यथा बिलेट/इंगोट/ब्लूम/स्लैब अथवा स्टील के रोल्ड प्रोडक्टस (थ्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित उत्पाद छोड़कर) अथवा दोनों का उत्पादन किया जाता है)" जोड़ा जाए।

8 परिशिष्ट-6 में, शब्द "संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र" के स्थान पर शब्द "सक्षम अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए। _

9 परिशिष्ट (6) की तालिका के खंड (अ) में, शब्द "लॉजिस्टिक सेवा सेक्टर" के पश्चात, चिह्न एवं शब्द "(लॉजिस्टिक नीति 2025 के लागू होने के पश्चात इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन लॉजिस्टिक नीति के तहत प्राप्त होंगे। जिन लॉजिस्टिक इकाइयों द्वारा दिनांक 21/07/2025 के पूर्व औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत भूमि/ऋण हेतु स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त कर लिया गया है, उन इकाइयों को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अथवा लॉजिस्टिक नीति 2025 का विकल्प चुनने का अवसर प्राप्त होगा। विकल्प चयन के लिए इस संशोधन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि के पश्चात् अधिकतम 3 माह में विकल्प चयन की सूचना संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। एक बार चुना गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।)" जोड़ा जाए।

10 परिशिष्ट (6) की तालिका के खंड (ब) में, प्रविष्टि क्रमांक 6 के पश्चात, निम्नानुसार प्रविष्टियां जोड़े जाएं, -

"7	कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग अधोसंरचना की स्थापना	50 (भूमि की कीमत को छोड़कर)
8	ई-कॉमर्स एवं App-based Aggregator	50 (भूमि की कीमत को छोड़कर)"

11 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ई) के क्रमांक 2 के कॉलम 3 में, अंक "1500" के स्थान पर, अंक "3000" एवं अंक "750" के स्थान पर, अंक "1000" प्रतिस्थापित किया जाए तथा निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, -

"परन्तु, इस संशोधन के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से पूर्व औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत होटल, रिज़ॉर्ट एवं कन्वेन्शन सेंटर हेतु स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त किया है अथवा परियोजना को राज्य स्तरीय समिति द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की

गई है, उनकी पात्रता संशोधन के पूर्व उल्लेखित सीमा के अनुसार होगी।"

12 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ई) के क्रमांक 2 के कॉलम 2 में निम्नानुसार शब्द जोड़ा जाए, -

"(i) रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में किसी स्थापित ब्रांड द्वारा स्थापित न्यूनतम 150 कीज़ (keys) के साथ पाँच सितारा होटल,

(ii) जगदलपुर एवं अम्बिकापुर विकासखण्ड में न्यूनतम 100 कीज़ (keys) के साथ तीन सितारा होटल,

(iii) बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अन्य विकासखंडों में न्यूनतम 50 कीज़ (keys) के साथ तीन सितारा होटल,

(iv) उपरोक्त (i), (ii) एवं (iii) से अतिरिक्त विकासखंडों में न्यूनतम 100 कीज़ (keys) के साथ तीन सितारा होटल,

इस संशोधन के प्रकाशन के उपरांत प्रत्येक जिले में प्रथम 10 होटल को ही निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।"

13 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ई) के क्रमांक 2 के कॉलम 3 में, अंक "500" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "5000 (परंतु बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में 2000)" प्रतिस्थापित किया जाए तथा निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, -

"परन्तु, इस संशोधन के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से पूर्व औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर/हॉस्पिटल हेतु स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त किया है, उनकी पात्रता संशोधन के पूर्व उल्लेखित सीमा के अनुसार होगी।"

14 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ई) के क्रमांक 2 के कॉलम 2 में, शब्द "50 बेड" के स्थान पर, निम्नानुसार शब्द एवं चिह्न प्रतिस्थापित किया जाए, -

"(i) रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी, राजनांदगांव, बलोदाबाजार के जिला मुख्यालय वाले विकासखण्ड एवं नवा रायपुर में न्यूनतम 200 बेड वाले मल्टीस्पैशलिटी हॉस्पिटल जिनमें एमसीआई के मापदंड अनुसार स्पेशियलिस्ट चिकित्सक ऑन-रोल हों;

(ii) अन्य जिला मुख्यालय विकासखण्ड एवं बस्तर सरगुजा के अतिरिक्त अन्य विकासखण्ड में न्यूनतम 100 बेड ;

(iii) बस्तर एवं सरगुजा संभाग के विकासखण्ड हेतु 50 बेड ;

(iv) अन्य हेल्थ वेलनेस सेंटर हेतु न्यूनतम 50 बेड;

इस संशोधन के प्रकाशन के उपरांत प्रत्येक जिले में प्रथम 10 अस्पतालों को ही निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।"

15 परिशिष्ट- 6 की तालिका के खंड (ई) के क्रमांक 6 की प्रविष्टि का लोप किया जाए तथा निम्नानुसार प्रविष्टि की जाए,

"इस संशोधन के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से पूर्व औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत होम स्टे सेवाएँ हेतु स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त किया है अथवा परियोजना को

राज्य स्तरीय समिति द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, उन्हें औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अथवा छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 का विकल्प चुनने का अवसर प्राप्त होगा। विकल्प चयन के लिए इस संशोधन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि के पश्चात् अधिकतम 3 माह में विकल्प चयन की सूचना संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/ उद्योग संचालनालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। एक बार चुना गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।"

16 परिशिष्ट-6 की तालिका के खंड (ह) के क्रमांक 4 के कॉलम 2 में, शब्द "विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "शैक्षणिक संस्थान" एवं शब्द "बस्तर/ सरगुजा संभाग" के स्थान पर, शब्द "राज्य" से प्रतिस्थापित किया जाए तथा अंत में शब्द "बस्तर, सरगुजा संभाग के बाहर केवल प्रथम 10 शैक्षणिक संस्थान" जोड़ा जाए।

17 परिशिष्ट-6 की तालिका के खंड (द) क्रमांक 4 अंतर्गत सारणी में प्रविष्टि क्रमांक 3 के पश्चात, नवीन प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ा जाए, -

"4	NABL मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक सेन्टर	2000 (भूमि की कीमत को छोड़कर); बस्तर एवं सरगुजा के लिए, 1000 (भूमि की कीमत को छोड़कर)"

18 परिशिष्ट-7 में, कंडिका (13) के पश्चात्, नवीन कंडिका निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"**(14) ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति -**

छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान में उत्पादन दिनांक से 05 वर्ष तक की 75 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति, अधिकतम "मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 2% प्रतिवर्ष" की पात्रता होगी।"

19 परिशिष्ट-9 में, कंडिका (20) के पश्चात्, नवीन कंडिका निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात -

"**(21) ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति-**

थ्रस्ट सेक्टर के उद्यमों को छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान में उत्पादन दिनांक से 05 वर्ष तक की 75 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति, अधिकतम "मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 2% प्रतिवर्ष" की पात्रता होगी।"

20 परिशिष्ट-7 की कंडिका (1) से (13) में तथा परिशिष्ट-8 की कंडिका (1) से (8) में शब्द "नवीन" का लोप किया जाए।

21 परिशिष्ट-8 के बिन्दु (7), अध्याय ब-1 के बिन्दु (7), अध्याय ब-2 के बिन्दु (9), अध्याय स-1, स-2 एवं स-3 के बिन्दु (9) एवं अध्याय स-4,स-5,स-6 एवं स-7 के बिन्दु क्र (7) में, अंक एवं चिन्ह "2%" के पश्चात, शब्द "प्रतिवर्ष" जोड़ा जाए।

22 परिशिष्ट-9 की कंडिका (17) का लोप किया जाए।

23 अध्याय ब-1 की कंडिका (1-अ) में, शब्द "वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से" का लोप किया जाए।

24 अध्याय स-1,स-2, स-3, अध्याय स-4, स-5, स-6 एवं स-7 की कंडिका (1-अ) एवं अध्याय स-9 की कंडिका (2) में, शब्द "वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से" का लोप किया जाए।

25 अध्याय स-1,स-2 एवं स-3 की कंडिका (9-अ), अध्याय स-4, स-5, स-6 एवं स-7 की कंडिका (7-अ) एवं अध्याय स-9 की कंडिका (8) के अंत में, निम्नानुसार पैराग्राफ जोड़ा जाए, -

"रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता 50 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाले इस सेक्टर के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी उपरोक्तानुसार होगी।"

26 अध्याय स-2 की कंडिका (9-अ) के अंत में, निम्नानुसार पैराग्राफ जोड़ा जाए, -

"रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता 50 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाले इस सेक्टर के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी उपरोक्तानुसार होगी।"

27 अध्याय स-6 कंडिका (1) की तालिका के कॉलम 1 में, शब्द "(यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश)" के स्थान पर, शब्द "स्थायी पूंजी निवेश (भूमि को छोड़कर)" प्रतिस्थापित किया जाए।

28 अध्याय स-7 कंडिका (1) की तालिका के कॉलम 1 में, शब्द "(यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश)" के स्थान पर, शब्द "स्थायी पूंजी निवेश (भूमि को छोड़कर)" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 12th January 2026

NOTIFICATION

No. GEN-2101/1319/2025/COMM. & INDUS-. Whereas, the State Government is of the opinion that, in order to accelerate the industrial development of the State and to clarify the provisions of the Industrial Development Policy 2024–30, it is necessary to do so in public interest,

therefore, in exercise of the powers conferred under Para (2) of the Industrial Development Policy 2024–30, the State Government, hereby, makes the following amendments to the Industrial Development Policy 2024–30, namely:

AMENDMENTS

In the Industrial Development Policy 2024–30,

1 In Para (12.25), for the words "District Trade and Industry Centre", the words "competent authority" shall be substituted.

2 In Para (12.26), the phrases "of the Production Linked Incentive (PLI)" and "under the PLI policy/scheme" shall be deleted, and after the words "in addition to the incentive amount", the words and punctuation ", up to the total maximum limit mentioned in the respective package," shall be added.

3 In section (b) of Para (12.27), for the words "investment made within 6 months for micro and small enterprises/service enterprises, 12 months for medium enterprises/medium service enterprises, and 24 months for large enterprises from the date of production", the words "investment made within the time limit mentioned in Para (17) of Annexure-1 of the policy after the date of production" shall be substituted.

4 In para (17) of Annexure-1, after the words "Acknowledgement Date", the words and symbols "/MOU Date/ Date of issuance of Invitation to Invest" shall be added.

5 In Para (29) of Annexure-1, clause (a) shall be substituted with the following clause: "(a) The project cost (excluding working capital) as shown in the project report prepared as per Para (32) of Annexure-1."

6 In Annexure-2, in section (f), at serial number 4, after the words "downstream products", the words and symbols "(excluding integrated steel plants, steel angles, channels, TMT, wire, coils, sheets, and pipes)" shall be added.

7 In column 1 of the table in Annexure-5, after the words "steel plant", the symbol and words "(A steel plant refers to an integrated steel plant or units that produce primary steel such as billets/ingots/blooms/slabs or rolled steel products (excluding products included in the thrust sector) or both)" shall be added.

8 In Annexure-6, for the words "respective District Trade and Industry Centre", the words "competent authority" shall be substituted.

9 In Section (A) of the table in Annexure (6), after the words "Logistics Service Sector", the text and symbols "(After the implementation of the Logistics Policy 2025, investment incentives under this category will be available under the Logistics Policy. Logistics units that have already availed stamp duty exemption for land/loans under the Industrial Development Policy 2024-30 before 21/07/2025 will have the option to choose between the Industrial Development Policy 2024-30 or the Logistics Policy 2025. The choice of option must be submitted to the concerned District Trade and Industry Centre within a maximum of 3 months from the date of publication of this amendment in the Official Gazette. The option once chosen will be final and irreversible.)" shall be added.

10 In Section (B) of Annexure (6), after serial number 6, the following entries shall be added:

"7	Establishment of computer-based testing infrastructure	50 (excluding the cost of the land)
8	E-commerce and App-based Aggregator	50 (excluding the cost of the land)"

11 In column 3 of serial number 2 of section (E) of the table in Annexure-6, the figure "1500" shall be substituted with the figure "3000" and the figure "750" shall be substituted with the figure "1000", and the following proviso shall be added, -

"Provided that, those who have availed stamp duty exemption for hotels, resorts and convention centers under the Industrial Development Policy 2024-30 before the date of publication of this amendment in the Official Gazette, or whose project has been granted in-principle approval by the State Level Committee, their eligibility shall be as per the limits mentioned before this amendment."

12 In column 2 of serial number 2 of section (E) of the table in Annexure-6, the following words shall be added, -

"(i) Five-star hotels with a minimum of 150 keys established by an established brand in Raipur, Bilaspur and Durg,

(ii) Three-star hotels with a minimum of 100 keys for development blocks in Jagdalpur and Ambikapur,

(iii) Three-star hotels with a minimum of 50 keys in other development blocks of Bastar and Surguja divisions,

(iv) Three-star hotels with a minimum of 100 keys in development blocks other than those mentioned in (i), (ii) and (iii) above,

After publication of this amendment Investment incentives will be provided only to

the first 10 hotels in each district."

13 In column 3 of serial number 2 of section (e) of the table in Annexure-6, the figure "500" shall be substituted with the figure and words "5000 (but 2000 in Bastar and Surguja regions)", and the following proviso shall be added:

"Provided that, those who have availed stamp duty exemption for Health Wellness Centers/Hospitals under the Industrial Development Policy 2024-30 before the date of publication of this amendment in the Official Gazette, their eligibility shall be as per the limit mentioned before this amendment."

14 In column 2 of serial number 2 of section (E) of the table in Annexure-6, the words "50 beds" shall be substituted with the following words and symbols:

"(i) In the district headquarters development blocks of Raipur, Bilaspur, Raigarh, Korba, Durg, Jagdalpur, Ambikapur, Dhamtari, Rajnandgaon, Balodabazar and in Nava Raipur, multi-specialty hospitals with a minimum of 200 beds and specialist doctors on the payroll as per MCI norms;

(ii) In other district headquarters development blocks and other development blocks excluding Bastar and Surguja divisions, a minimum of 100 beds;

(iii) For development blocks of Bastar and Surguja divisions, 50 beds;

(iv) For other Health and Wellness Centers, a minimum of 50 beds;

After publication of this amendment Investment incentives will be provided only to the first 10 hospitals in each district."

15 The entry in serial number 6 of Section (e) of the table in Annexure-6 shall be deleted, and the following proviso shall be added:

"Those who have availed stamp duty exemption for Home Stay services under the Industrial Development Policy 2024-30 before the date of publication of this amendment in the Official Gazette, or whose project has been granted in-principle approval by the State Level Committee, will have the opportunity to choose between the Industrial Development Policy 2024-30 and the Chhattisgarh Home Stay Policy 2025. The option must be exercised within a maximum of 3 months from the date of publication of this amendment in the Official Gazette, and the intimation of the chosen option must be submitted to the concerned District Trade and Industry Centre/Directorate of Industries. The option once chosen will be irrevocable."

16 In Table under Section (h), Serial Number 4, Column 2 of Annexure-6, for the word "University", the words "Educational Institution" and for the words "Bastar/Surguja Division", the word "State" shall be substituted, and the words "Only the first 10 educational institutions outside Bastar and Surguja divisions" shall be added at the end.

17 In the table under section (d) of Annexure-6, after serial number 3, a new entry shall be added as follows:

"4	NABL accredited diagnostic center	2000 (excluding land cost); For Bastar and Surguja, 1000 (excluding land cost)"

18 In Annexure-7, after Para (13), the following new Para shall be added, namely:

"(14) EPF Reimbursement –

Employees of Chhattisgarh State domicile shall be eligible for reimbursement of 75 percent of their EPF contribution for a period of 05 years from the date of commencement of production, subject to a maximum of "2% of the eligible fixed capital investment per annum".

19 In Annexure-9, after Para (20), the following new Para shall be added, namely:

"(21) EPF Reimbursement –

Enterprises in the thrust sector will be eligible for reimbursement of 75 percent of the EPF contribution of their employees of Chhattisgarh state domicile for a period of 05 years from the date of commencement of production, subject to a maximum of "2% of the eligible fixed capital investment per annum".

20 In Section (1) to (13) of Annexure-7 and Section (1) to (8) of Annexure-8, the word "new" shall be deleted.

21 In Serial number (7) of Annexure-8, serial number (7) of Chapter B-1, serial number (9) of Chapter B-2, serial number (9) of Chapters C-1, C-2 and C-3, and seral number (7) of Chapters C-4, C-5, C-6 and C-7, after the number and symbol "2%", the word "per annum" shall be added.

22 Para (17) of Annexure-9 shall be deleted.

23 In Para (1-a) of Chapter B-1, the words "from the date of commencement of commercial production" shall be deleted.

24 In Para (1-a) of Chapters C-1, C-2, C-3, Chapter C-4, C-5, C-6 and C-7, and Para (2) of Chapter C-9, the words "from the date of commencement of commercial production" shall be deleted.

25 At the end of Para (9-a) of Chapters C-1, C-2 and C-3, Para (7-a) of Chapters C-4, C-5, C-6 and C-7, and Para (8) of Chapter C-9, the following Para shall be added:

"The eligibility for employment generation subsidy, as mentioned above, shall also extend to Micro, Small and Medium Enterprises in this sector providing more than 50 employment."

26 At the end of Para (9-a) of Chapter C-2, the following Para shall be added:

"The eligibility for employment generation subsidy, as mentioned above, as mentioned above, shall also extend to Micro, Small and Medium Enterprises in this

sector providing more than 50 employments."

27 In column 1 of the table in Chapter C-6, section (1), for the words "(Capital investment in plant and machinery)", the words "Fixed capital investment (excluding land)" shall be substituted.

28 In column 1 of the table in Chapter C-7, section (1), for the words "(Capital investment in plant and machinery)", the words "Fixed capital investment (excluding land)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.